कार्यालय आयुक्त, उच्च शिक्षा, मध्यप्रदेश
सतपुड़ा भवन, भोपाल–462004

क्रमांकः 910/341/आउशि/शा–5'अ'/2020 भोपाल, दिनांक 28/10/2020

प्रति,

प्राचार्य,
समस्त शासकीय/अनुदान प्राप्त अशासकीय/निजी अशासकीय महाविद्यालय,
मध्यप्रदेश।

विषय– सत्र 2020–21 के अन्तर्गत स्नातक/स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों में प्रवेशित विद्यार्थियों के दस्तावेजों का सत्यापन एवं विषय/पाठ्यक्रम/संकाय परिवर्तन के संबंध में।

संदर्भ– उच्च शिक्षा, मंत्रालय, आदेश कमांक 949/2020/सी.सी./2020/38, भोपाल, दिनांक 31.07.2020

––000––

प्रदेश के शासकीय/अनुदान प्राप्त अशासकीय/निजी अशासकीय महाविद्यालयों में स्नातक प्रथम वर्ष/स्नातकोत्तर प्रथम सेमेस्टर पाठ्यक्रमों में ऑनलाइन प्रवेश हेतु राज्य शासन द्वारा प्रवेश नियम एवं मार्गदर्शी सिद्धांत जारी किये गये हैं।

2. प्रवेश नियम एवं मार्गदर्शी सिद्धांत की कण्डिका 2.3.1 एवं 2.3.5 के अनुक्रम में दिनांक 18.11.2020 से दिनांक 12.12.2020 तक प्रवेश प्राप्त करने वाले समस्त आवेदक संबंधित शासकीय/अनुदान प्राप्त अशासकीय/निजी अशासकीय महाविद्यालयों में उपस्थित होकर मूल टी.सी, माईग्रेशन एवं अन्य दस्तावेजों का सत्यापन कराकर दस्तावेज महाविद्यालय में जमा करने की कार्यवाही सुनिश्चित की जानी है। निर्धारित समय–सीमा में दस्तावेज जमा न करने की स्थिति में आवेदक का प्रवेश स्वतः निरस्त माना जाएगा।

3. प्रवेश नियम एवं मार्गदर्शी सिद्धांत की कण्डिका 2.3.6 के अनुक्रम में स्नातक कला संकाय के समस्त आवेदकों के लिए अनिवार्य होगा कि दिनांक 18.11.2020 से दिनांक 12.12.2020 तक सीट संख्या के आधार पर विषय समूह का चयन करते हुए संबंधित महाविद्यालय के माध्यम से ऑनलाइन पोर्टल पर विषय समूह की जानकारी अद्यतन कराएंगे। संबंधित शासकीय/अनुदान प्राप्त अशासकीय/निजी अशासकीय महाविद्यालय ऐसे आवेदकों की जानकारी निर्धारित समय सीमा में पोर्टल पर अद्यतन करना सुनिश्चित करेंगे।

4. प्रवेश नियम एवं मार्गदर्शी सिद्धांत की कण्डिका 15.6 के अनुक्रम में महाविद्यालय स्तर पर पात्रता अनुसार विषय/पाठ्यक्रम/संकाय हेतु प्रवेश मार्गदर्शी सिद्धांत का पालन सुनिश्चित करते हुए, नियमानुसार उपलब्ध रिक्त स्थानों पर पात्रता एवं गुणानुक्रम का उल्लंघन न होने की शर्त पर केवल प्रवेशित विद्यार्थियों के लिए दिनांक 18.11.2020 से दिनांक 12.12.2020 तक विषय/पाठ्यक्रम/संकाय परिवर्तित किये जा सकेंगे। इस संबंध में महाविद्यालय द्वारा विधिवत् सूचना प्रसारित कर, प्राप्त आवेदनानुसार कार्यवाही की जानी है। इस अवधि में किसी भी प्रकार का नवीन प्रवेश मान्य नहीं होगा।

5. स्नातक प्रथम वर्ष एवं स्नातकोत्तर प्रथम सेमेस्टर के पाठ्यक्रमों में प्रवेशित विद्यार्थियों द्वारा चयन की गई छात्रवृत्ति/हितग्राही योजनाओं में दिनांक 18.11.2020 से 28.11.2020 तक पात्रता

अनुसार परिवर्तन किया जा सकेगा। छात्रवृत्ति/हितग्राही योजनाओं में परिवर्तन महाविद्यालय के हेल्पसेन्टर के माध्यम से निर्धारित समय सीमा में किया जा सकेगा।

अतः उपरोक्तानुसार कार्यवाही सुनिश्चित की जाए।

"अपर आयुक्त उच्च शिक्षा द्वारा अनुमोदित"

(डॉ. धीरेन्द्र शुक्ल)
विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी
उच्च शिक्षा, मध्यप्रदेश

पृ. क्रमांक: 911 / 341 /आउशि/शा–5'अ'/2020 **भोपाल, दिनांक 28/10/2020**

प्रतिलिपि–

1. निज सहायक, माननीय मंत्रीजी, उच्च शिक्षा विभाग, मंत्रालय, भोपाल, मध्यप्रदेश ।
2. स्टाफ आफीसर, प्रमुख सचिव, उच्च शिक्षा विभाग, मंत्रालय, मध्यप्रदेश ।
3. निज सहायक, अपर आयुक्त, उच्च शिक्षा, भोपाल, मध्यप्रदेश।
4. कुलसचिव, समस्त परम्परागत विश्वविद्यालय, मध्यप्रदेश।
5. समस्त क्षेत्रीय अतिरिक्त संचालक, उच्च शिक्षा, मध्यप्रदेश।
6. प्राचार्य समस्त शासकीय अग्रणी महाविद्यालय मध्यप्रदेश।
7. सी.ई.ओ. एम.पी.ऑनलाईन, द्वितीय तल डी.बी.मॉल, अरेरा हिल्स भोपाल, म.प्र.।
8. विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी,आई.टी.शाखा,उच्च शिक्षा संचालनालय, सतपुड़ा भवन भोपाल की ओर वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु ।

.... की ओर सूचनार्थ एवं कार्यवाही हेतु ।

विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी
उच्च शिक्षा, मध्यप्रदेश